भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 773

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना

773. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार के बीच राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक लाभार्थी कितने हैं और बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों सहित ओडिशा में कितने लाभार्थियों को सम्मिलित किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ओडिशा के दूरदराज और अल्पविकसित क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए ओडिशा को पर्याप्त निधि आवंटित की है और यदि हां, तो आवंटन का जिलावार ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): जी हां, ओडिशा राज्य में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और ओडिशा राज्य के बीच दिनांक 13.01.2025 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, ओडिशा राज्य में लगभग 1.03 करोड़ लाभार्थी परिवार (लगभग 3.35 करोड़ लाभार्थी) कवर किए जाएंगे, जिनमें बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले में क्रमशः लगभग 3.87 लाख और 1.24 लाख लाभार्थी परिवार शामिल हैं।

इसके अलावा, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के 17.32 लाख लाभार्थी परिवारों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विचार किए बिना आयुष्मान वय वंदना कार्ड के साथ एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई वर्तमान में लगभग 30,000 पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से 27 विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं में मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के पास ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति है। इसमें अखबारों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल डिस्प्ले, रेडियो अभियान, जन संदेश और दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थियों के प्रशंसापत्रों का प्रसारण जैसे पारंपरिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी आशा कार्यकर्ता, एएडबल्यू और वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) के व्यापक नेटवर्क को भी शामिल किया है, जो जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार ने राज्यों को इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक आईईसी कार्यकलाप करने के निर्देश जारी किए हैं।

(ङ): एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग द्वारा संचालित है। एनएचए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर योजना कार्यान्वयन के लिए धनराशि जारी करता है। निधियों का कोई राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन नहीं है। परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक नई निधि जारी करने से पहले पूर्व में प्राप्त निधियों का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

निधियों का केंद्रीय हिस्सा, पात्र एबी-पीएमजेएवाई परिवारों के अनुरूप प्रीमियम की खोज या वास्तविक दावा राशि (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजना कार्यान्वयन के तरीके पर निर्भर करता है) के आधार पर कार्यान्वयन करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है, जो मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक प्रति-परिवार उच्चतम सीमा के अधीन है।

*****